

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी- विनोद कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
481/2022

दायर दिनांक
21.12.2022

निर्णय दिनांक
24.08.2023

अनवान

1. श्रीमती जानू पत्नी स्व० श्री रामेश्वर जाट उम्र वयस्क, नि० भोली तह० व जिला भीलवाडा।
2. श्री प्रवीण पुत्र श्री रामेश्वर जाट उम्र वयस्क, निवासी भोली तहसील व जिला भीलवाडा।
3. श्री रामप्रसाद पुत्र श्री बलदेव जाट, उम्र वयस्क, निवासी भोली तहसील व जिला भीलवाडा।

— प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री हरलाल पुत्र श्री हीरा जाट, उम्र वयस्क, नि० भोली तह० व जिला भीलवाडा।
2. श्री देबीलाल पुत्र श्री भैरूलाल जाट, उम्र वयस्क, नि० भोली तह० व जिला भीलवाडा।
3. श्री शिवराज पुत्र श्री भैरूलाल जाट, उम्र वयस्क, नि० भोली तह० व जिला भीलवाडा।
4. श्री नारायण पुत्र सोहन जाट, उम्र वयस्क, नि० भोली तह० व जिला भीलवाडा।
5. श्री जगदीश पुत्र श्री रामचन्द्र जाट, उम्र वयस्क, नि० भोली तह० व जिला भीलवाडा।
6. श्री महादेव पुत्र श्री बद्री जाट, उम्र वयस्क, नि० भोली तह० व जिला भीलवाडा।
7. श्री फूलचन्द पुत्र श्री बद्री जाट, उम्र वयस्क, नि० भोली तह० व जिला भीलवाडा।
8. श्री शंकर पुत्र श्री मगना जाट, उम्र वयस्क, नि० भोली तह० व जिला भीलवाडा।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

— अप्रार्थीगण

उपस्थिति :- अधिवक्ता प्रार्थीगण—श्री ओमप्रकाश शर्मा
अप्रार्थीगण के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही

—:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज० भू-राजस्व अधिनियम ::—

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज० भू-राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा भोली पटवार हल्का भोली तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबंदी संवत् 2074-2077 के खाता संख्या 176 की अभिलिखित आराजियात आराजी संख्या 547 रकबा 0.6196 हैक्टर कुल किता 01 कुल रकबा 0.6196 हैक्टर एवं खाता संख्या 178 आराजी संख्या 590/1 रकबा 0.1391 हैक्टर, आराजी नम्बर 816 रकबा 0.4805 हैक्टर, आराजी नम्बर 893 रकबा 0.4426 हैक्टर कुल किता 03 कुल रकबा 1.0622 हैक्टर कृषि भूमि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काशत की है और अप्रार्थीगण आराजियात जैर-बहस के पड़ौसी खातेदारान हैं। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिह्न नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजियात की मौके

५०
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर रथाई सीमा-चिह्न स्थापित किया जावे।
प्रार्थीगण वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार हैं।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। आज दिनांक 24.08.2023 को अप्रार्थीगण के बाजबूद सूचना के हाजिर नहीं आने से अप्रार्थीगण के विरुद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की इस्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढ़ी का है व प्रार्थीगण अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैर-बहस के खातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजियात जैर-बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढ़ी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के कम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार सह-काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तथा तहसीलदार भीलवाड़ा को सीमांकन (पत्थरगढ़ी) कराने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार भीलवाड़ा को आदेश दिया जाता है कि मौजा भोली पटवार हल्का भोली तहसील व जिला भीलवाड़ा की जमाबन्दी संवत् 2074-2077 के खाता संख्या 176 की अभिलिखित आराजियात आराजी संख्या 547 रकबा 0.6196 हैक्टर कुल किता 01 कुल रकबा 0.6196 हैक्टर एवं खाता संख्या 178 आराजी संख्या 590/1 रकबा 0.1391 हैक्टर, आराजी नम्बर 816 रकबा 0.4805 हैक्टर, आराजी नम्बर 893 रकबा 0.4426 हैक्टर कुल किता 03 कुल रकबा 1.0622 हैक्टर कृषि भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खड़ी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिह्न स्थापित कर सीमांकन (पत्थरगढ़ी) किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। सीमांकन (पत्थरगढ़ी) हेतु तहसीलदार भीलवाड़ा को 1000/-रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नरी शुल्क का रिकॉर्ड विधिवत् संधरित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करें तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार भीलवाड़ा को तहरीर जारी करें।

पत्रावली निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 24.08.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

५०
(विनोद कुमार)
उपपट्ट अधिकारी
भीलवाड़ा